:: कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0) ::
जिला न्यायालय परिसर, न्याय सदन भवन, जगदलपुर
दूरभाष क्रमांक – 07782–231250 E-Mail - dlsa.bastar@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक –37 / जि.वि.से.प्रा.(LADCS) / 2025, जगदलपुर, दिनांक–30 मई, 2025

इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से मानव संसाधन Supporting Staff (Office Peon) कार्यालय भृत्य की संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagement) छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पत्र कमांक 1407/LADCS-23-05/2024, बिलासपुर दिनांक 19 / 05 / 2025 के माध्यम से नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 की कंडिका–4 के प्रावधानानुसार निर्धारित शर्तो एवं उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार की गई है :–

क0	पदनाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम
1	कार्यालय भृत्य (Office Peon)	1– नितिन कुमार पिता डुमरधर, निवासी ग्राम पोस्ट माड़पाल (बड़ेपार), विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0) 2– श्री छबीन्द्र सिंह ठाकुर पिता घनश्याम ठाकुर, निवासी मावलीगुड़ा, पोस्ट खोरखोसा, जिला बस्तर (छ0ग0)

निर्धारित मानदेय :– उक्त चयनित कार्यालय भृत्य को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर के द्वारा पूर्व में निर्धारित मानदेय रूपये 10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र प्रदाय होगा ।

निर्धारित शर्ते :–

कं0	पद का नाम	निश्चित मानदेय
01.	कार्यालय भृत्य	संविदा एकमुश्त रूपये 10,000 / – मासिक (इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नही होगा)

1– लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से मानव संसाधन Supporting Staff (Office Peon) कार्यालय भृत्य की संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026

तक की अवधि के लिए 01 (एक) वर्ष के लिये होगी ।

2– नियुक्त कौंसिलों के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019–नालसा दिनांक 24 अगस्त 2022 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों एवं नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा उसी के अनुसार नियुक्त कौंसिल की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी ।

3– चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा ।

4– नियुक्त कौंसिलों को नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा ।

अन्य शर्ते कार्य, सेवा समाप्ति, कोड ऑफ एथिक्स, अवकाश एवं अन्य शर्ते माननीय नालसा के पत्र क्रमांक LADCS/2022 दिनांक 24 अगस्त 2022 एवं नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के अनुसार रहेगी ।

माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित ।

30.5.25

(गोविंद नारायण जांगडे)
प्रधान जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जगदलपुर

पृष्ठां0क्रमांक 306 /जि.वि.से.प्रा.(LADCS)/2025, जगदलपुर, दिनांक–30 मई, 2025

प्रतिलिपि :–

1/ नितिन कुमार पिता डुमरधर, निवासी ग्राम पोस्ट माड़पाल (बड़ेपार), विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0)

2/ श्री छबीन्द्र सिंह ठाकुर पिता घनश्याम ठाकुर, निवासी मावलीगुड़ा, पोस्ट खोरखोसा, जिला बस्तर (छ0ग0)

3/ कार्यालय लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

व्यव0न्याया0वरि0श्रे0/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जगदलपुर